न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—257/2019/225 (2019/00257)

1. मदनसिंह पुत्र स्व0 जोधासिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम परबतपुरा, तह0 व जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. भंवरसिंह पुत्र स्व0 गोपीसिंह,
2. जयसिंह पुत्र स्व0 गोपीसिंह,
3. श्रीमती गौरी पुत्री स्व0 गोपीसिंह,
4. श्रीमती नर्बदा पत्नी स्व0 लाडूसिंह,
5. उगमसिंह पुत्र स्व0 लाडूसिंह,
6. सीताराम पुत्र स्व0 लाडूसिंह,

समस्त जाति रावत, नि0 ग्राम परबतपुरा, तह0 व जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर, जिला अजमेर ।
8. मल्लासिंह पुत्र स्व0 जोधासिंह (मृतक) जरिये वारिसानः—
   8/1— श्रीमती रमती पत्नी स्व0 मल्लासिंह,
   8/2— भंवरसिंह पुत्र स्व0 मल्लासिंह,
   8/3— शंकरसिंह पुत्र स्व0 मल्लासिंह,
   8/4— देवीसिंह पुत्र स्व0 मल्लासिंह
9. नंगासिंह पुत्र स्व0 जोधासिंह, (मृतक) जरिये वारिसानः—
   9/1— श्रीमती रूपी पत्नी स्व0 नंगासिंह,
   9/2— शैतानसिंह पुत्र स्व0 नंगासिंह,
   9/3— तुफानसिंह पुत्र स्व0 नंगासिंह,
   9/4— भीमसिंह पुत्र स्व0 नंगासिंह,
   9/5— श्रीमती पार्वती पुत्री स्व0 नंगासिंह,
   समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम परबतपुरा, तह0 व जिला अजमेर ।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर, दिनांक 17.7.2019 अंतर्गत प्रकरण संख्या 01/2012.

उपस्थितः—

1. श्री एन0एस0राजावत, वकील अपीलांट ।
2. श्री विजयसिंह रावत, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 .
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 7.
4. रेस्पो0 संख्या 3 से 6 एवं 8/1 से 9/5 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 6.2.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 17.7.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट/प्रार्थी ने अधी0न्याया0 के समक्ष नियमित वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पो0/अप्रार्थीगण` प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खानपुरा, तहसील व जिला अजमेर अवस्थित वर्किंग खसरा नंबर 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1184 कुल किता 8 कुल रकबा 7—19—00 बीघा भूमि प्रार्थी एवं प्रफोर्मा अप्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 8 व 9 के संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य की पैत्रक भूमिया हे जिनमें अपीलांट/प्रार्थी का 1/3, अप्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 8 जरिये विधिक वारिसान 1/3, एवं अप्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 9 जरिये विधिक वारिसान 1/3 हिस्सा निहित होकर काबिज काश्त चले आ रहे है । इन कृषि भूमियों के पूर्व दिशा की ओर लगते हुए अप्रार्थी/संख्या 1 से 6 की पैत्रक संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य की भूमिया वर्किंग खसरा नंबर 1179 से 1183, 1127 से 1230 अवस्थित है । इस प्रकार प्रार्थी एवं संपूर्ण अप्रार्थीगण की भूमियों पर आवागमन का एकमात्र सुखाधिकार रास्ता अर्जुनलाल सेठी कॉलोनी की पक्की सड़क से अप्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 से 6 के खातेदारी भूमि वर्किंग खसरा नंबर 1230 की दक्षिणी सीमा से लगता हुआ वर्किंग खसरा नंबर 1179, 1180, 1181 की उत्तरी मेड तथा वर्किंग खसरा नंबर 1182 व 1183 की उत्तरी मेड से लगता हुआ प्रार्थी/अपीलांट एवं प्रफोर्मा रेस्पो0/अप्रार्थी के उक्त संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य की भूमि पर आवागमन हेतु एकमात्र रास्ता अवस्थित करता है जिसे वर्किंग खसरा नंबर 1182 की पूर्वी सीमा तक प्रोटेड लाईन से राजस्व मानचित्र में दर्शाया गया है । जिस रास्ते का उपयोग—उपभोग प्रार्थी/अपीलांट एवं अप्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 8 व 9 अपने पूर्वजों के समय से करते चले आ रहे है । इस प्रकार उक्त वर्णित सभी भूमियां पक्षकारान की पैत्रक खातेदारी संयुक्त खातेदारी की रही है, जिनका पूर्वजों के मध्य हुए आपसी सहमति विभाजन के तहत खातेदारी विभाजित हो गये तथा उक्त वर्णित रास्ता सुखाधिकार हेतु यथावत् कायम रहा जिसकी एवज में अप्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 से 6 को 14 बिस्वा भूमि अधिक दी गई परन्तु उक्त रास्ते का राजस्व रिकार्ड में इंद्राज नहीं होने के कारण अप्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 से 6 द्वारा अविधिक रूप से रास्ते को अवरूद्ध कर दिया तथा प्रार्थी/अपीलांट की खातेदारी भूमि के पश्चिम दिशा की ओर वर्किंग खसरा नंबर 1170 व 1113 गैर मुमकिन नाला अवस्थित करता है । इस कारण खातेदारी भूमि पर आवागमन हेतु एकमात्र रास्ता उक्त वर्णितानुसार ही विद्यमान करता है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णितानुसार रास्ता प्रदान कर राजस्व रिकार्ड में इद्रांज किये जाने के आदेश प्रदान करावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 17.7.2019 द्वारा खारिज कर दिया गया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. पर विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 द्वारा आदेश पारित किये जाने से पूर्व आदेश 1 नियम 9 जा0दी0 में उल्लेखित

विधिक प्रावधानों का उचित रूप से अध्ययन किये बिना केवल मात्र सरसरी तौर पर प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने के आशय से पक्षकारों के असंयोजन के आधार पर निरस्त किये जाने में विधिक त्रुटि कारित किये जाने से आदेश विधि के आज्ञापक सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । आदेश 1 नियम 10 (2) सपठित धारा 151 जा0दी0 में उल्लेखित विधिक प्रावधानों के तहत किसी भी प्रकरण के किसी भी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रहते हुए न्यायालय का प्रकरण की सुनवाई के दौरान यह समाधान एवं संज्ञान प्रतीत होता है कि प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण किये जाने से पूर्व किसी पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है, तो वह स्वंय द्वारा पक्षकार संयोयित किये अथवा आवश्यक पक्षकार को संयोजित किये जाने हेतु प्रार्थी/अपीलांट को आदेशित किये जाने हेतु स्वतंत्र है । परन्तु अधी0न्याया0 द्वारा उक्त वधिकि प्रावधान के संबंध में अपने विधिक मस्तिष्क का प्रयोग किये बिना केवल मात्र तकनीकी आधार पर प्रार्थना पत्र निरस्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में सर्वप्रथम तहसीलदार, अजमेर द्वारा धारा 251—ए राज0काश्त0अधि0 में उल्लेखित विधिक प्रावधानां के तहत प्रथम बार में ही अपनी रिपोर्ट दिनांक 8.5.2015 को तैयार कर प्रस्तुत कर दी थी इसके उपरांत भी अधी0न्याया0 द्वारा बिना किसी युक्तियुक्त एवं उचित आधार के दिनांक 25.10.2016 एवं 22.5.2019 को पुनः मौका रिर्पोट तलब की गई जिसके संबंध में आदेश दिनांक 17.7.2019 में किसी प्रकार का कोई विवेचन व विश्लेषण नहीं किया गया है तथा न ही अधी0न्याया0 द्वारा एक ही प्रकरण में एक ही पक्षकार अर्थात् तहसीलदार द्वारा विरोधाभासी रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के संबंध में भी निहित क्षैत्राधिकार का प्रयोग कर संबंधित तहसीलदार के विरूद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही की है । बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट द्वारा किसी भी रूप में अपने अभिवचनों में नगर सुधार न्यास, अजमेर के नाम दर्ज भूमि में से रास्ता दिये जाने का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है । नगर सुधार न्यास के नाम दर्ज भूमि की किस्म नाला होकर पानी का भराव क्षैत्र है जिससे न तो रास्ते हेतु भूमि उपलब्ध हो सकती है तथा न ही अब्दुल रहमान बनाम राज0 सरकार प्रकरण में पारित न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में गैर मुमकिन नाला भूमि में से रास्ता दिया जाना संभव है । अधी0न्याया0 ने विधिक आज्ञापक सिद्धांतों एवं प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों के प्रतिकूल अपीलाधीन आदेश द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि कारित की है ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा अप्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 5 उगमसिंह द्वारा प्रस्तुत स्वीकारोक्ति जवाब एवं तहसीलदार, अजमेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 8.5.2015 के संबंध में आदेश में किसी प्रकार का कोई विवेचन व विश्लेषण नहीं किया है । अधी0न्याया0 ने अपने आदेश की पृष्ठ संख्या 6 के प्रथम पैरा की द्वितीय पंक्ति में खसरा नंबर 996 किस्म बीड़ नगर सुधार न्यास, अजमेर के नाम दर्ज होना उल्लेखित किया है जबकि खसरा नंबर 996 नगर सुधार न्यास, अजमेर के नाम दर्ज न होकर वर्तमान खसरा नंबर 965 व 965/1450 गैर मुमकिन नाला के रूप में दर्ज होकर नगर सुधार न्यास, अजमेर के नाम दर्ज है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का विवेचन, विश्लेषण किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251—राज0काश्त0अधि0 स्वीकार किया जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात के मध्य

कोई रास्ता नहीं है एवं न ही राजस्व नक्शा ट्रेस में ऐसे किसी रास्ते का ही अंकन है । अपीलांट अपनी खातेदारी आराजी पर आने–जाने हेतु खसरा नंबर 1170 की पाल से होकर आते जाते रहे है एवं आज भी उसी पाल का उपयोग कर रहे है । अपीलांट की आराजी में आवागमन हेतु खसरा नंबर 1170 की पाल से आवागमन रास्ता पूर्व से ही विद्यमान होने से अपीलांट नये रास्ते का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकते है । अपीलांट ने रेस्पो0 संख्या 1 से 6 को परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है । अपीलांटस अधी0न्याया0 के समक्ष अपना प्रार्थना पत्र साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । प्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष मूल रूप से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत अपने खातेदारी भूमि पर आवागन हेतु कोई वैकल्पि रास्ता नहीं होना दर्शाते हुए स्वंय की खातेदारी आराजी वर्किग खसरा नंबर 1172, 1177, 1178, 1184 पर आवागमन हेतु अप्रार्थीगण/रेस्पो0 के खातेदारी वर्किग खसरा नंबर 1179, 1180, 1181 की दक्षिणी मेड़ व खसरा नंबर 1182, व 1183 की उत्तरी मेड़ से लगता हुआ रास्ते का अनुतोष चाहा था । अधी0न्याया0 ने प्रार्थीगण को इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा प्रकरण में आवश्यक हितबद्ध पक्षकार को पक्षकार संयोजित नहीं किये जाने के आधार पर खारिज किया है ।

8. इस संबंध में अधी0न्याया0 के निर्णय दिनांक 17.7.2019 को अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 8.5.2015 के पश्चात् बिना किसी युक्तियुक्त एवं उचित आधार के दिनांक 25.10.2016 एवं दिनांक 22.5.2019 को तहसीलदार, अजमेर के माध्यम से पुनः मौका रिपोर्ट तलब की है किन्तु इस संबंध में प्रकरण के किसी भी पक्षकार द्वारा न तो पूर्व रिपोर्ट पर आपत्ति करते हुए आवेदन पत्र पेश किया गया है तथा न ही अधी0न्याया0 द्वारा पूर्व में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर अविश्वास होने के संबंध में किसी प्रकार का कोई उल्लेख अधी0न्याया0 की पत्रावली की आदेशिका पर उपलब्ध है साथ ही उक्त सभी मौका रिपोर्टो में एक ही राजस्व ऐजेन्सी अर्थात् तहसीलदार, अजमेर द्वारा विवादित रास्ता की भूमि के संबंध में विरोधाभासी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है । परन्तु अधी0न्याया0 द्वारा अपने आदेश दिनांक 17.7.2019 में किसी भी मौका रिपोर्ट का कोई उल्लेख नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि अधी0न्याया0 द्वारा किस दिनांक की मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलांटस/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 5 श्री उगमसिंह जो कि अन्य अप्रार्थी/रेस्पो0 का भाई व सहखातेदार है, के द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष स्वीकारोक्ति जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थीगण/अपीलांटस के प्रार्थना पत्र का समर्थन किया है जिसके संबंध में भी अधी0न्याया0 द्वारा कोई विवेचन व विश्लेषण अपने निर्णय में नहीं किया गया है अपितु अभिवचनों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत नवीन प्रकरण का गठन कर नगर सुधार न्यास, अजमेर को पक्षकार संयोजित नहीं किये जाने के आधार पर भी प्रार्थीगण/अपीलांटस का प्रार्थना पत्र निरस्त किया है जबकि आदेश 1 नियम 9 जा0दी0 के तहत पक्षकारों के असंयोजन के आधार पर कोई प्रकरण खारिज नहीं किया जा सकता है अपितु प्रकरण के विचाराधीन

रहते किसी भी प्रकार को सुना जाना आवश्यक है तो ऐसी स्थिति में आदेश 1 नियम 10 (2) जा0दी0 के प्रावधानों के तहत न्यायालय स्वंय पक्षकार संयोजित किये जाने एवं आवश्यक पक्षकार को पक्षकार संयोजित किये जाने हेतु प्रार्थीगण को निर्देशित कर सकते थे । उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा आदेश दिनांक 174.7.2019 पारित किये जाने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है जिससे अधी0न्याया0 के निर्णय को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है ।

9. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.7.2019 निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

10. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा अंतर्गत प्रार्थना पत्र संख्या 1/2010 में पारित निर्णय दिनांक 17.7.2019 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे हितबद्ध पक्षकारान को प्रकरण में पक्षकार संयोजित कर रास्ते के संबंध में उभयपक्ष की मौजूदगी में तहसीलदार, अजमेर से निष्पक्ष एवं स्पष्ट मौका रिपोर्ट प्राप्त कर उभयपक्ष को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को इस न्यायालय के निर्णय की दिनांक से तीन माह की अवधि में नवीन रूप से निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 6.2.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर